

प्रेस नोट –
थाना बबीना, जनपद झाँसी

दिनांक 03.05.2025

➤ 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 03.05.2025 को थाना बबीना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता श्रीमती फुलमैना पत्नी नैपाल सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी दातार नगर परवई थाना खस्रा जिला झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना बबीना पर मु0अ0स0 105/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्ता का नाम व पता- श्रीमती फुलमैना पत्नी नैपाल सिंह उम्र करीब 45 वर्ष निवासी दातार नगर परवई थाना खस्रा जिला झाँसी।

बरामद का विवरण - 10 ली0 अवैध कच्ची देशी शराब

पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री कैलाश चन्द्र थाना बबीना, झाँसी।
- 2.म0उ0नि0 मनु चौधरी थाना बबीना, झाँसी।
- 3.म0का0 1638 दिव्या पाण्डेय थाना बबीना, झाँसी।
- 4.का0 1573 लवकुश पाण्डेय थाना बबीना जनपद झाँसी।